रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 276] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 1973/अग्रहायण 1, 1895
No. 276] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 1973/AGRAHAYANA 1, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 22nd November 1973

G.S.R. 502(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4-B of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following Order further to amend the Order of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 466(E) dated the 24th November, 1972, namely:—

In the said Order, after the Table, the following provisos shall be added at the end, namely:—

"Provided that, in the case of cottonseed oil and groundnut oil, the limits of usage during the period commencing from the month of November of any year and ending with the month of February of the following year shall apply to the average usage of the said oils during the entire four-month period.

Provided further that, on and after the 1st December, 1973, no mustard oil or rapeseed oil, other than imported rapeseed oil or oil obtained from imported rapeseed, may be used in the manufacture of vegetable oil product."

[No. 9-VP(1)/73]

S. V. SAMPATH,
Vegetable Oil Products Controller for India.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1973

सा० का० नि० 502(अ).—भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण, 1947 के खण्ड 4-ख के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० सा०का०नि० 466(ई), तारीख 24 नवम्बर, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, सारणी के पश्चात् अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु बिनौले के तेल और मूंगफली के तेल की दशा में, किसी भी वर्ष के नवम्बर मास से प्रारंभ होने वाली और अगले वर्ष के फरवरी मास में समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्रयोग की सीमाएं, चार मास की पूर्ण अवधि के दौरान उक्त तेलों के औसत प्रयोग को लागू होंगी।

परन्तु यह और कि 1 दिसम्बर, 1973 को और उसके पश्चात् आयातित तोरिया के तेल या आयातित तोरिया से अभिप्राप्त तेल से भिन्न कोई सरसों का तेल या तोरिया का तेल वनस्पति तेल उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त नहीं किया जा सकेगा।"

[सं० 9-वीपी (1)/73]

एस० वी० सम्पथ,

भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973